बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

(माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक : 09/प्र0 छात्र0–04/2020–52   पटना, दिनांक:– 28/07/23

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना–2023" के अन्तर्गत कुल राशि ₹200.3875 (दो सौ करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति एवं व्यय के विमुक्ति के संबंध में।

आदेश:– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना–2023" के अन्तर्गत कुल राशि ₹200.3875 (दो सौ करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति का आदेश प्रदान किया जाता है।

2. यह राशि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा निम्न स्वीकृत्यादेश के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध राशि विमुक्त किया जा रहा है।

क्र0	कल्याण विभाग का स्वी0 सं0/दि0	विपत्र कोड	विषयशीर्ष	मांग सं0	मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)
01	02	03	04	05	05	06	07	08	09
01	37/ 24.03.2023	11–222503277010101	34–छात्रवृति/वजीफा– 0101.34.01– छात्रवृति/वजीफा	11	2225	03	277	0101	20038.75
	Total								**20038.75**
	(रुपये दो सौ करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार)								

3. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–673 दिनांक–23.03.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023" के संचालन एवं दिशा निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री दीपक कुमार सिन्हा, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को प्राधिकृत किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग

कल्याण विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–673 दिनांक–23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होगें।

5. शिक्षा विभाग, बिहार, सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि की निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार को भेजेंगे।
6. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि की निकासी कर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाभुको को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि PFMS के माध्यम से हस्तान्तरित करने हेतु HDFC BANK LTD. BORING ROAD PATNA में संधारित खाता POST MATRIC CHHATRAVRITI YOJANA BC-EBC के खाता संख्या–50100347300902, MICR Code-800240003 IFSC Code-HDFC0000235 में जमा करेंगे।
7. इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills" एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3808 दिनाक–02. 06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशो के आलोक में किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। कोषागार से राशि की निकासी के बाद अनावश्यक रूप से अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।
10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
11. सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

ह/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/प्र0 छात्र0–04/2020–..52....पटना, दिनांक......23/03/23....../
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/प्र0 छात्र0–04/2020–..52..... पटना, दिनांक.....28/03/23......./

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/श्री दीपक कुमार सिन्हा, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)/वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/शाखा प्रबंधक HDFC Bank Ltd., बोरिंग रोड, पटना/DBT/PFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/प्र0 छात्र0–04/2020–..52....पटना, दिनांक........28/03/23..../

प्रतिलिपिः– कोषगार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/प्र0 छात्र0–04/2020–..52...पटना, दिनांक...........28/03/23..../

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषगार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/प्र0 छात्र0–04/2020–..52.....पटना, दिनांक.......28/03/23/

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.3.23
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

MAIL

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–10/2023–   पटना, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023" के अन्तर्गत कुल राशि रू0 200.3875 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या–673, दिनांक–23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023" के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या–1385 दिनांक–25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022–23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना अन्तर्गत बजट उपबंध के विरूद्ध कुल राशि रू0 200.3875 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3–उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–34–छात्रवृत्ति/वजीफा–0101.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

4–इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–673 दिनांक–23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

5–शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति की राशि को DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, बिहार कोषागार संहिता (संशोधित, दिनांक–07.02.2014), 2011 के नियम–272 में उल्लेखित Scholarship तथा Stipend की निकासी हेतु "The list of Statement showing name of student, name and address of father, class, roll no, Scheme name, Period, rate of stipend and total amount shall be attached with all BTC-43 bills", वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808 दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

PTO

7–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2023 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

8–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9–प्रस्ताव में माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10–सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह०/–
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–10/2023– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/2/ब0 एवं आ0–17–10/2023– 37. पटना, दिनांक– 24/03/2023

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2023
प्रधान सचिव।